रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042025-262496
CG-DL-E-17042025-262496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2025/चैत्र 26, 1947
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025/CHAITRA 26, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 232(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 (इसमे इसके पश्चात् निर्दिष्ट उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

‘(ड.) " कैलिब्रेटेड लम्प अयस्क" से खान से निकाले गए अयस्क को कुचलने और छानने के बाद प्राप्त आकार के लौह अयस्क लम्प, जिनका आकार 5 मिमी से 40 मिमी के बीच होता है और न्यूनतम Fe श्रेणी 60% और उससे अधिक होता है, अभिप्रत हैं;’।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-I में —

(क) प्ररुप च1, प्ररुप छ1, के शीर्षक “**उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए है (यदि नीचे श्रेणी अलग से नहीं दिखाएं गए है, खनिज के

नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं)" की सारणी में, श्रेणियां से संबंधित स्तंभ के अधीन, मद संख्या (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) कैलिब्रेटेड लंप अयस्क (सीएलओ) *(लम्पों के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन सूचित न की जाए)*
(क) 60% से 62% से कम Fe (5-40 मिमी आकार के सीएलओ)
(ख) 62% से 65% से कम Fe (5-40 मिमी आकार के सीएलओ)
(ग) 65% और उससे अधिक Fe (5-40 मिमी आकार के सीएलओ)";

(ख) प्ररुप ठ, प्ररुप ङ के शीर्षक "# उपरोक्त सारणियां में रिपोर्टिंग के लिए खनिजों के श्रेणी नीचे दिए गए हैं। (यदि पृथक श्रेणी नीचे नहीं दिए गए है, तो श्रेणी के समक्ष खनिज का नाम रिपोर्ट करें)" की सारणी में, श्रेणियां से संबंधित स्तंभ के अधीन मद संख्या (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) कैलिब्रेटेड लम्प अयस्क (सीएलओ) *(लम्पों के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन सूचित न की जाए)*
(क) 60% से 62% से कम Fe (5-40 मिमी आकार के सीएलओ)
(ख) 62% से 65% से कम Fe (5-40 मिमी आकार के सीएलओ)
(ग) 65% और उससे अधिक Fe (5-40 मिमी आकार के सीएलओ)"।

[फा. सं. एम.VI-1/1/2023-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

नोट: उपर्युक्त नियम भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 169(अ), तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार के सा.का.नि. 51(अ), तारीख 21 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2025

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

'(e) "calibrated lump ore" means the sized iron ore lumps obtained after crushing and screening of the run-of-mine ore, having size range between 5 mm and 40 mm and minimum Fe grade of 60% and above;'.

3. In the said rules, in Schedule-I, —

(a) in Form F1 and Form G1, under the heading "**Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):", in the table, under the column relating to GRADES, for item number (iv) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(iv) Calibrated Lump Ore (CLO) *(Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO)*
(a) 60% to below 62% Fe (5-40 mm size CLO)
(b) 62% to below 65% Fe (5-40 mm size CLO)
(c) 65% and above Fe (5-40 mm size CLO)";

(b) in Form L and Form M, under the heading "#Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):", in the table, under the column relating to GRADES, for item number (iv) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(iv) Calibrated Lump Ore (CLO) *(Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO)*
(a) 60% to below 62% Fe (5-40 mm size CLO)
(b) 62% to below 65% Fe (5-40 mm size CLO)
(c) 65% and above Fe (5-40 mm size CLO)".

[F. No. M.VI-1/1/2023-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 169(E), dated the 27th February, 2017 and lastly amended *vide* number G.S.R. 51(E), dated the 21st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.04.17 21:25:22 +05'30'